फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055-00-800-03-00 3055-सड़क परिवहन 800-अन्य व्यय 03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल 01-वेतन	2647.10	595.78	160.00	50.00	2597.10
योग-	**2647.10**	**595.78**	**160.00**	**50.00**	**2597.10**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055-00-800-03-00 3055-सड़क परिवहन 800-अन्य व्यय 03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	525.00 15.00	675.00 25.00	150.00 10.00	50.00 00	575.00 15.00
योग -	**540.00**	**700.00**	**160.00**	**50.00**	**590.00**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अधिकांशतः कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके है जिसके कारण लेखाशीर्ष 3055-सडक परिवहन-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मानक मद संख्या-01-वेतन में जनपदों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण उक्त मद में धनराशि की बचत संभावित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी उक्त मद में धनराशि व्यय न होने के कारण उक्त मद में धनराशि रू0 529.93 लाख समर्पित किया गया था। इस कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 160.00 लाख की बचत अनुमानित है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का खरीद :- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को शासकीय वाहन अनुमन्य है। पीठासीन अधिकारियों के लिये किराये पर वाहन अनुबन्धित किये गये हैं। पीठासीन अधिकारियों द्वारा निरन्तर इनोवा वाहन की माँग के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 26.08.2021 द्वारा समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिये इनोवा कार का बेस मॉडल तथा अधिकतम व्यय की धनराशि रु 75,000/- प्रतिमाह अनुमन्य की गयी है।

एक वाहन के किराये की दर रू0 75,000/- मासिक के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष हेतु (75,000 x 12 = 9,00,000) रू0 9.00 लाख प्रति अधिकरण तथा 75 अधिकरणों हेतु वार्षिक वाहन का किराया (9,00,000 x 75 = 6,75,00,000) रु; 675.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी थी। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025.26 हेतु इस मद में रू0 525.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

आय-व्ययक वर्ष 2025-26 हेतु गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष हेतु इस मद के बजट मॉग-पत्रों का बजट उपलब्धता के आधार पर अनुपातिक धनाबंटन किया गया है, फिर भी इस मद के सम्पूर्ण वर्ष हेतु की गयी बजट मॉग के सापेक्ष बजट मॉग-पत्र लम्बित हैं। लम्बित देयताओं के निस्तारण हेतु शेष माहो के लिए रू० 150.00 लाख की आवश्यकता हेतु पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय- इस मद में अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जा रही मॉग/आवश्यकता के दृष्टिगत प्रति अधिकरण रू0 1,00,000/- वार्षिक की दर से समस्त अधिकरणों हेतु (1,00,000 x 75 = 75,00,000) रु0 75.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी थी जिसके सापेक्ष उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 15.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मे समस्त कार्य ऑनलाईन कम्प्यूटर के माध्यम से निस्तारित किये जाते है इस हेतु कम्प्यूटर की रिबन, कार्टेज एवं स्टेशनरी आदि पर व्यय किया जाता है। कतिपय पीठासीन अधिकारियों द्वारा अधिकरणों पर व्यय किये जाने हेतु निरन्तर अतिरिक्त मॉग की जा रही है।

आय-व्ययक वर्ष 2025-26 हेतु 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय मद में पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष हेतु इस मद के बजट मॉग-पत्रों का बजट उपलब्धता के आधार पर अनुपातिक धनाबंटन किया गया हैए फिर भी इस मद के सम्पूर्ण वर्ष हेतु की गयी बजट मॉग के सापेक्ष बजट मॉग-पत्र लम्बित हैं। लम्बित देयताओं के निस्तारण हेतु शेष माहो के लिए रू० 10.00 लाख की आवश्यकता हेतु पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-182, दिनांक 19-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-136/2025/2710(1)/तीस-3-2025 दिनॉक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in